

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4645/2026

Prabhu Singh S/o Guman Singh, Aged About 23 Years, Resident
Of Lalji Ka Khera, P.S. Sadar, District Chitorgarh (Raj.).
(Presently Lodged In Dist. Jail Chittorgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishal Sharma Ms. Nisha Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Aslam Khan

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

05/05/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 440/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 109(1), 127(2), 140(3) व 281 भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में सह-अभियुक्तगण चिराग की जमानत दिनांक 09.04.2026 व नितेश की जमानत दिनांक 25.02.2026 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा ली जा चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आहत की चोटें साधारण प्रकृति की हैं। मुस्तगीस द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया है। इस आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में सह-अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है। मुस्तगीस पक्ष द्वारा प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **प्रभू सिंह पुत्र गुमान सिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J